

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सह संयुक्त संचालक



स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़,
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

कन्ज्यूमेवल, सर्जिकल एवं अन्य सामग्री

निविदा प्रपत्र
वर्ष 2018–19

Seen
Date

✓

①

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सह संयुक्त संचालक

स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध
कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / रूप / चिकि.अधी. / 2018-19 / 7015

रायगढ़, दिनांक 04/07/18

-: निविदा सूचना :-

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ में सी. जी. एम. एस. सी. द्वारा कन्ज्यूमेबल, सर्जिकल एवं अन्य सामग्री प्रदाय न किये जाने की स्थिति में उपरोक्त सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी निविदा दस्तावेज में उपलब्ध है, जो संस्था के वेबसाईट www.gmcraigarh.edu.in एवं <https://eproc.cgstate.gov.in> में से देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है। निविदा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है -

Cost of Tender Document – Rs.3000/- (Three thousand) Only		
Earnest Money Deposit The requisite EMD shall have to be paid as follows:-		
Payable to	EMD in the form of	EMD Amount (In Rupees.)
Medical Superintendent Cum Joint Director, Late Shri Lakhiram Agrawal Memorial Gov.Medical College associated K.G.Hospital Raigarh (C.G.)	Banker's Cheque/Demand Draft	Rs. 3,00,000/- (Three Lac only)
Bid Start Date	06.07.2018 at 11.00 AM onwards	
Last Date & time of submission of Tender Form through Online at Website https://eproc.cgstate.gov.in/	23.07.2018 before 11:59 PM	
Last Date & time for submission of Physical documents	25.07.2018 before 02:00 PM	
Date and Time of Prequalification/Technical bid opening	25.07.2018 at 03:00 PM	
Financial bid opening	30.07.2018 at 04:00 PM	

चिकित्सा अधीक्षक, सह संयुक्त संचालक
स्व.ल.अ.स्मृ.शा.चिकित्सा महाविद्यालय
संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सह संयुक्त संचालक

स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध कि.शा.
चिकित्सालय रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

❖ निविदा शर्तों का सही अध्ययन कर ही निविदा फार्म जमा करें:-

निविदा की तैयारी एवं जमा करने संबंधी निर्देश

1. निविदा तीन बीड पद्धति के द्वारा आमंत्रित किया गया है, प्री-क्वालिफिकेशन बीड, टेक्निकल बीड और फाईनेंसीयल बीड। निविदा छ.ग. शासन के ऑनलाइन निविदा वेबसाईट <https://eproc.cgstate.gov.in/> के माध्यम से जमा किया जाना है। निविदादाता द्वारा निविदा अंकित वांछित दस्तावेज एवं अमानत राशि के साथ ऑनलाइन निविदा जमा करने की रसीद, अधिष्ठाता कार्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में दिनांक को अपराह्न 02:00 बजे के तक जमा करना अनिवार्य होगा।
2. **अमानत राशि :** निविदादाता को निविदा के साथ अमानत राशि रू. 300000.00 (तीन लाख) मात्र डी.डी. / बैंकर्स चेक के रूप में संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक स्व.श्री लखी राम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ के नाम से जमा करना होगा। अमानत राशि (डी.डी. / बैंकर्स चेक), ऑनलाइन निविदा जमा करने की रसीद एवं निविदा में अंकित वांछित दस्तावेज भौतिक रूप में एक लिफाफा में भरकर उपरोक्तानुसार जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि, दर अनुबंध की अवधि सफलतापूर्ण पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जावेगा एवं असफल निविदादाता की अमानत राशि, निविदा दर की अंतिम तुलनात्मक सूची तैयार होने के पश्चात् वापस किया जावेगा। यदि सफल निविदादाता द्वारा दर अनुबंध अवधि के बीच में ही निविदा से निकल जाता है अथवा निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/सूचना गलत या जाली पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा किये गये अमानत राशि को राजसात कर लिया जावेगा एवं संबंधित फर्म का नाम अगले तीन वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।
3. **निविदा दर :** निविदा दर की राशि रू. 3000/- (तीन हजार रू.)नॉन-रिफंडेबल होगी। निविदा की विस्तृत जानकारी शा.चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ के वेबसाईट www.gmcraigarth.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदादाता हेतु सूचना एवं निर्देश :-

1. इलेक्ट्रॉनिक क्रय प्रणाली के अंतर्गत जारी निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक समस्त निविदादाताओं को छ.ग. शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> में पंजीकृत होना पड़ेगा।
2. ऑनलाइन निविदा जमा करने हेतु सर्वप्रथम निविदादाताओं को निविदा जमा फीस की राशि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।

3. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम समस्त निविदादाताओं का प्री-क्वालिफिकेशन बीड (बीड-ए) खोला जावेगा, जिसमें निविदा शर्तों के अनुसार संबंधित दस्तावेज, निविदा जमा शुल्क की रसीद एवं अमानत राशि का जाँच किया जावेगा। निविदादाता द्वारा बीड-ए में प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण पाये जाने पर, संबंधित निविदादाता का बीड-बी नहीं खोला जावेगा एवं उसके द्वारा जमा निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
4. निविदा की अवधि दर निर्धारित होने के दिन से 18 माह की रहेगी। विभाग की मांग के अनुसार सामग्रियों समय-समय पर क्रय आदेश आपूर्ति हेतु जारी किया जायेगा।
5. यह निविदा प्रथमतः जेनरिक (**Generic**) सर्जिकल एवं अन्य सामग्री के लिए आमंत्रित की गयी है।
6. कन्ज्यूमेबल, सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियाँ आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माता कम्पनी तथा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से निविदा आमंत्रित है।
7. निविदा की शर्तें छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियमों के तहत आमंत्रित की जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय के सभी नियम लागू रहेंगे।
8. निविदादाता (Bidder) द्वारा रखी गई शर्तें मान्य नहीं होंगी तथा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

निविदा प्रक्रिया :-

ई-निविदा तीन बीड पद्धति से आमंत्रित की गई है, (a.) प्री-क्वालिफिकेशन बीड, (b.) टेक्निकल बीड, (c.) फाईनेंसियल बीड के द्वारा ऑनलाईन जमा करना होगा। निविदादाता से संबंधित समस्त दस्तावेज निविदादाता के द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं निविदा दस्तावेज के अनुसार क्रम में होना अनिवार्य है।

• (a.) प्री-क्वालिफिकेशन बीड हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची -

1. निर्माता कम्पनी :-

2.

- I. निविदाकर्ता का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स नंबर एवं ईमेल-आईडी, एड्रेस प्रूफ सहित लिखा हो।
- II. कन्ज्यूमेबल, सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियों के निर्माता कंपनी को उपरोक्त सामग्रियों के मेन्युफेक्चरिंग, स्टॉकिंग, सेलिंग, एवं डिस्ट्रीब्यूशन का जीवित ड्रग लाईसेंस, लाईसेंसिंग अथारटी के द्वारा दिया गया हो अनिवार्य होगा।
- III. चुकता वैध बिक्री प्रमाण पत्र वर्ष 2017-18। (Valid Sales Tax Clearance Certificate)।
- IV. Income Tax return Last 3 Years.
- V. टिन नम्बर/GSTIN युक्त सर्टिफिकेट में सर्जिकल एवं अन्य सामग्री का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- VI. पेन कार्ड नम्बर।
- VII. GSTIN सर्टिफिकेट।

- VIII. कम से कम 300 बेड युक्त मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय का नियमित कार्य करने का बेहतर प्रदाय का अनुभव प्रमाण पत्र वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। तथापि प्रतिष्ठित निजी/कार्पोरेट चिकित्सालयों पर भी विचार किया जा सकेगा।
- IX. दुकान के व्यवसायिक उपयोग हेतु एजेंसी फर्म/प्रोप्राइटर (मालिक) को संबंधित क्षेत्र नगरपालिका/नगरनिगम द्वारा प्रदत्त पंजीयन/अनापत्ति/सहमति पत्र का प्रमाण पत्र।
- X. शपथ पत्र (दिये हुये प्रारूप में) जमा करना अनिवार्य होगा।
- XI. निर्माता कंपनी का सर्जिकल एवं अन्य सामग्री हेतु एक वर्ष में रु. पांच करोड़ वार्षिक विक्रय (Turn Over) का प्रमाण पत्र वर्ष 2017-18 का (विक्रयप्रमाण पत्र, विक्रयकर अधिकारी अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)
- XII. रूपये तीन लाख जो कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में E.M.D. जमा करना होगा जो कि चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (MEDICAL SUPERINTENDENT CUM JOINT DIRECTOR LATE SHRI LAKHI RAM AGRAWAL MEMORIAL MEDICAL COLLEGE ASSOCIATED K.G. HOSPITAL RAIGARH) के पक्ष में देय होना चाहिए, संलग्न करना होगा।

3. अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स :-

- I. निविदाकर्ता का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाइल, फेक्स नंबर एवं ईमेल-आईडी एड्रेस प्रूफ सहित जमा करना होगा।
- II. ड्रग लायसेंस जिसका जीवित पंजीयन हो।
- III. चुकता वैध बिक्री प्रमाण पत्र (Valid Sale Tax Clearence Certificate)
- IV. Income Tax return 2017-18
- V. टिन नम्बर/GSTIN युक्त सर्टिफिकेट में सर्जिकल एवं अन्य सामग्री का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- VI. पेन कार्ड नम्बर।
- XIII. GSTIN सर्टिफिकेट।
- VII. कम से कम 300 बेड युक्त मेडिकल कालेज चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय का नियमित कार्य करने का बेहतर प्रदाय का अनुभव प्रमाण पत्र वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। तथापि प्रतिष्ठित निजी/कार्पोरेट चिकित्सालयों पर भी विचार किया जा सकेगा।
- VIII. दुकान के व्यवसायिक उपयोग हेतु एजेंसी फर्म/प्रोप्राइटर (मालिक) को संबंधित क्षेत्र नगर निगम/नगर पालिका द्वारा प्रदत्त पंजीयन/अनापत्ति/सहमति पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- IX. अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स का वार्षिक रूपये पचास लाख का कन्ज्यूमेवल, सर्जिकल एवं अन्य सामग्री का क्रय विक्रय (Turn Over) का प्रमाण पत्र (विक्रयप्रमाण पत्र विक्रयकर अधिकारी अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)।
- X. शपथ पत्र (दिये हुये प्रारूप में)
- XI. निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रमाण पत्र जो मूल प्रति सम्मिलित करना अनिवार्य होगा जो दिये गये निविदा के लिए देय हो।
- XII. अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा कोट की गई सर्जिकल एवं अन्य सामग्री जिस कंपनी की कोट की गई है उस कम्पनी का Turn Over, Manufacturing Licence, WHO/ GMP /FDA /CE का जीवित सर्टिफिकेट सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।



XIII. रूपये तीन लाख जो कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में E.M.D. जमा करना होगा जो कि चिकित्सा अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (MEDICAL SUPERINTENDENT CUM JOINT DIRECTOR LATE SHRI LAKHI RAM AGRAWAL MEMORIAL MEDICAL COLLEGE ASSOCIATED K.G. HOSPITAL RAIGARH) के पक्ष में देय होना चाहिए, संलग्न करना होगा।

• (b.) टेक्निकल बीड हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची –

निर्माता कंपनी –

- I. निविदा में कोट किये गये सर्जिकल एवं अन्य सामग्री का नाम, सरल क्रमांक की सूची।
- II. गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र – ISO/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/GMP/WHO.
- III. स्पेशिफिकेशन के संबंध Compliance Statement और कोई भिन्नता (यदि कोई हो तो), की सूची।

अधिकृत विक्रेता –

- I. निविदा में कोट किये गये सर्जिकल एवं अन्य सामग्री का नाम, सरल क्रमांक की सूची।
- II. गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र – ISO/FDA/UL/BS/ISO/IP/BP/GMP/WHO.
- III. स्पेशिफिकेशन के संबंध Compliance Statement और कोई भिन्नता (यदि कोई हो तो), की सूची।
- IV. निविदा में कोट किये गये सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियों के निर्माता कंपनी का नाम एवं अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र।

• (c.) फाईनेंसियल बीड हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची –

निविदा दर, ऑनलाईन निविदा में प्राईस बीड सेक्सन के अंतर्गत प्रारूप के अनुसार ही भरना होगा।

नियम एवं शर्तें

1. संपूर्ण भारत के निर्माता कंपनी, अधिकृत विक्रेता/थोक व्यापारी/प्रदायकर्ता जो ड्रग लाईसेंसधारी हो वह इस निविदा में भाग लेने हेतु योग्य है।
2. निविदा किसी भी आधार पर एवं किसी भी स्तर पर, किसी भी समय स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सहायक संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक, शा.चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
3. क्रय समिति आपके द्वारा भौतिक रूप में जमा किये गए दस्तावेजों के मूल प्रति से मिलान करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
4. निविदा स्पष्ट रूप से टंकित कर संलग्न निविदा फार्म में भरकर जमा करनी होगी।
5. सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियाँ आवश्यकतानुसार एवं समय-समय पर शासन से प्राप्त निर्देशानुसार ही क्रय की कार्यवाही की जावेगी। क्रय में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।
6. क्रय हेतु आदेशित सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियाँ क्रय आदेशानुसार निर्धारित वैध अवधि के अंदर संपूर्ण माप-दण्ड के अनुसार प्रदाय करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। समय पर प्रदान



न करने की दशा में विलम्ब से प्राप्त सामग्री केन्द्रीय भण्डार द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने स्वयं के व्यय से वापस लेना होगा। सामग्री आदेश की आंशिक प्रदाय मान्य नहीं किया जायेगा।

7. सभी निविदादाता को रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से नोटराईज्ड/रजिस्टर्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता निम्न स्तर की अथवा हानिकारक अथवा अशुद्ध पायी गई तो मेरे द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जाए एवं मुझे ब्लेक लिस्टेड किया जायेगा।
8. निविदा अवधि में प्रदान किये गये सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीया के मूल्य खुदरा बाजार भाव से तथा किसी भी शासकीय संस्था को प्रदाय किये गये दर से /शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है यह शपथ पत्र रुपये 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से नोटरी से नोटराईज्ड/रजिस्टर्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा।
9. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के न्यायालयीन प्रकरण रायगढ़ न्यायालय के अधीन रहेंगे।
10. निविदा में निर्माता कम्पनी /अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर को जीवित पंजीकृत प्रमाण – पत्र (पंजीयन) वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन प्रमाण – पत्र, आयकर चुकता प्रमाण – पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं ड्रग लायसेंस जिसका पंजीयन जीवित हो कम्पनी /फर्म का अधिकृत प्रमाण –पत्र की स्पष्ट छायाप्रति को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन तिथि एवं पदमुद्रा सहित सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य है। क्रय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गए दस्तावेजों के मिलान हेतु मूल प्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसलिए समस्त संबंधित मूल पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
11. निविदा में नेट रेट (सभी कर एवं खर्च सहित जिसमें सभी प्रकार के करों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए) मेडिकल सामग्रियाँ F.O.R. चिकित्सालय के केन्द्रीय भण्डार शाखा (Door Delivery) के लिए होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाडा अथवा अन्य व्यय मान्य नहीं होगा।
12. निविदादाता को प्रत्येक सामग्री प्रदायिगी के साथ गुणवत्ता संबंधी प्रमाण संलग्न करना होगा।
13. प्रत्येक निविदादाता को रुपये तीन लाख जो कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में E.M.D. जमा करना होगा जो कि, अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ के पक्ष में देय होना चाहिए। संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. तकनीकी बीड (Technical Bid) खुलने के दिन एक ही निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण – पत्र सहित) उपस्थित हो सकते हैं।
15. निविदा में प्रत्येक मद (Item) की इकाई दर राज्य अथवा केन्द्रीय शासन के द्वारा प्रतिबंधित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति कि.शा. शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) का शासकीय

- प्रतिबंधित दर (Govt. Price Control) के अनुसार प्रस्तावित दरों में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह स्वविवेकी अधिकार निविदाकार के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उपयोग किया जावेगा।
16. प्रदाय किये जाने के अनुबंध होने के बाद प्रदायकर्ता किसी भी कारण से प्रदाय दरों में अनुबंधित अवधि के दौरान प्रदाय दर में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
 17. अनुबंध अवधि के दौरान यदि, शासकीय आदेश अथवा निविदाकर्ता/ निर्माता ईकाई के द्वारा, निवादित मद (Item) की दरें कम होती हैं तो निविदाकार यह दर सूचित करने तथा इस कम दर पर मद (Item) की पूर्ति करने के लिये वैधानिक रूप से बाध्य होगा तथा यह दर सूचना की दिनांक से प्रभावी होगी। निविदाकार द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) स्वयं इस विषय में निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। उत्पाद शुल्क में बढोत्तरी होने की दशा में, निविदाकार बिना अनुबंधित दरों में संशोधन किये, अतिरिक्त व्यय को एक अलग देयक के रूप में, संबंधित उत्पाद शुल्क अधिकारी के आदेश/अधिसूचना के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।
 18. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चेक निविदा समाप्ति तक जमा रखा जाएगा। जिस पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि 30 दिवस के उपरांत लिखित आवेदन-पत्र के बाद वापस किया जाएगा।
 19. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा. चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ में अविरल रूप से आपूर्ति बनाये रखने के लिए (यदि दर समान हो तो) क्रयादेशों को एक से अधिक प्रदायकर्ताओं में विभक्त कर सकेगा, जिसके लिये किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
 20. स्वीकार फर्म को रूपये 50/- के न्यायाधिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से नोटराईज्ड/रजिस्टर्ड कराकर कर प्रस्तुत करना होगा कि मेरे द्वारा प्रदाय की गई सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों की गुणवत्ता उत्तम है परन्तु यदि किसी कारणवश पुनः परीक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान संबंधित फर्म के द्वारा किया जायेगा तथा यह भी कथन करना होगा कि यदि प्रदाय की गई वस्तु उक्त जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तो अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार अन्य कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
 21. समस्त प्रदाय की जाने वाली सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों Mfg. Date, Exp. Date तथा **CG Govt. Supply. Not for sale** लिखा होना अनिवार्य है। निर्माण तिथि के दो माह के अन्दर ही सामग्री प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी अवसान तिथि 02 वर्ष से कम स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी सामग्री की अवसान तिथि 02 वर्ष से कम ही निर्धारित है तो इस संबंध में प्रदायकर्ता फर्म को प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 22. आदेशित सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों की पूर्ति स्वीकृत दर के अनुसार क्रय आदेशानुसार निर्धारित तिथि के अन्दर पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में शासकीय नियमानुसार कार्यवाही कर अर्थदण्ड की कटौती की जावेगी तथा अन्य स्रोतों से क्रय किये जाने पर अधिकतम देय राशि की वसूली स्वीकृत निविदादाता के द्वारा जमा धरोहर राशि से की जावेगी एवं ब्लेक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।




23. निविदाएँ खोले जाने के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। ऐसी शर्तों जैसे SUBJECT TO AVAILIBILITY, SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN RECEIVED Etc. को अपूर्ण जानकर निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
24. निविदा के संलग्न सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों में दिये गए समस्त सामग्रियों का क्रयादेश जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता बाध्य नहीं है। इस संबंध में किसी प्रकार का स्वत्व मान्य नहीं होगा।
25. निविदाकार को समस्त क्रय आदेशित सामग्री क्रय आदेशानुसार निर्धारित तिथि के अंदर अनिवार्य रूप से चिकित्सालय के केन्द्रीय भण्डार शाखा में अपने स्वयं के व्यय पर पहुँचाकर देना होगा। निश्चित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में द्वितीय दर दाता से क्रय की कार्यवाही कर उसके अंतर की राशि प्रथम स्वीकृत निविदादाता की धरोहर राशि/देयक से कटौति कर वसूल की जावेगी। क्रय आदेश का न्यूनतम मूल्य रूपये 100/- होने पर भी स्वीकृत सामग्री निश्चित समयावधि में प्रदाय करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
26. संकृत पद्धति (Closed System)/प्रोपराईटरी सामग्रियों के लिए निर्माता कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा निविदा की दर को संबंधित सामग्री के लिये अमान्य कर दिया जावेगा एवं तत्संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
27. निविदाकार को प्रत्येक प्रदाय की जा रही सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों की शासकीय प्रयोग शाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक प्रदायगी के साथ प्रेषित करना होगा। मानक गुणवत्ता की सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों एवं चिकित्सा सामग्री जिसे प्रमाणीकरण हेतु कहीं भेजे जाने का व्यय प्रदायकर्ता फर्म को वहन करना होगा। यदि गुणवत्ता परीक्षण असफल होता है तो प्रदायकर्ता नये बैच की इवाइयों को 20 दिनों के अन्दर बदल कर देगा। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में रखा जाएगा। जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं होगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
28. निविदा दाता का संस्थान कहाँ स्थित है जहाँ से सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयों प्रदाय किए जायेंगे। निविदा के साथ विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदाकार को अगले पांच वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं काली सूची में डाल दिया जायेगा।
30. अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के दर्शाये किसी एक मद अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकारने अथवा निरस्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।
31. निविदाकर्ता के द्वारा बार – बार सामग्रियों समयावधि में प्रदाय न करने की स्थिति निर्मित होती हैं तो अधीक्षक को निविदा /अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार रहेगा तथा ऐसे निविदाकर्ताओं की सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

32. कोई भी निविदाकार किसी ऐसे मद (Item) के लिए दरें नहीं प्रस्तुत करेगा, जिन्हें पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में रखा गया हो।
33. कोई भी निविदाकार अथवा निर्माता कंपनी जिसे पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची में रखा गया हो, निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। शपथ – पत्र इस बारे में देना होगा।
34. क्रयादेश के अनुरूप प्रदायगी, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मासिक अथवा क्रयादेश के अनुसार प्रदाय करना होगा।
35. निविदाकर्ता यदि आदेश में दर्शायी कंपनी को बदलकर अन्य कंपनियों की सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां प्रदाय करता है तो अधीक्षक को उसकी निविदा/ अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का अधिकार रहेगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी। निविदाकर्ता को भविष्य में पांच वर्ष के लिए चिकित्सालय की निविदाओं में प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
36. यदि कोई उत्पादन किसी कंपनी के एकल स्वामित्व (Proprietary) का हो तो, उसका एकल स्वामित्व प्रमाण (Prop. Certificate) पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
37. समस्त सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां टेबलेट, केप्सूल केवल Bilster Pack या Aluminium Pack में ही प्रदाय करें यह अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में खुली सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां स्वीकार नहीं किया जावेगा।
38. निर्माता कंपनी/फर्म यह सुनिश्चित करें कि प्रदाय किये जाने वाले सभी सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां के बैच नम्बर का शासन द्वारा अधिकृत/नामांकित या एनएबीएल पंजीकृत लैब से टेस्ट कराकर सर्टिफिकेट प्रदाय करना अनिवार्य होगा। अन्यथा सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां केन्द्रीय भण्डार शाखा में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
39. भुगतान व्यवस्था (Payment Provisions)
- अधीक्षक सह संयुक्त संचालक स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शा.चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध कि.शा. चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.) प्रदाय आदेश के विरुद्ध भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
 - प्रदाय आदेश के विरुद्ध कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - भुगतान माल का बिल की प्राप्ति तथा प्राप्तकर्ता के प्रपत्रों के आधार पर ही किया जायेगा।
 - भुगतान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत ही किया जायेगा।
 - अग्रिम राशि अथवा प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किसी किस्म का ब्याज देय नहीं होगा।
 - प्रत्येक प्रदायगी मद के विरुद्ध परीक्षण शुल्क काटकर भुगतान किया जावेगा। यदि प्रदायगी टूटफूट अथवा हानि की स्थिति में प्राप्त होती है तो उसे अस्वीकार किया जावेगा।
 - क्रय आदेश की सम्पूर्ण सर्जिकल एवं अन्य सामग्रीयां पूर्णतः प्राप्त होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
40. गुणवत्ता नियंत्रण कटौती (Quality Control Deduction)
- पूर्व में दिये गये निर्देशों, पैकिंग अथवा विशिष्ट निर्देश का पालन नहीं करने पर अथवा निविदा की शर्तों के उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकेगा।




- ii. अमानक स्तर की सामग्रियों को 20 दिन के भीतर बदलकर देगा। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में रखा जायेगा और 05 वर्ष चिकित्सालय की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
41. विशेष शर्तें
- सभी प्रदायगी मूल प्रदाय पत्र व बिल के साथ होना चाहिए। छायाप्रति स्वीकार न होगी।
 - अनुबंध के अनुरूप प्रदाय की गई वस्तुओं पर **CG Govt. Supply. Not for sale** अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिये अन्यथा सामग्रियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।
 - जातिगत नाम (जेनरिक नाम) बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
 - अधिक तापमान से खराब होने वाली सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियों शीत श्रृंखला में प्रदाय की जानी चाहिए।
 - प्रदायगी से संदर्भित सभी पत्र व्यवहार मुद्रित अथवा सुस्पष्ट हस्तलिपि में होना चाहिए।
42. निविदा नियमित तिथि एवं समय के पूर्व केवल पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। निविदा उसी कार्य दिवस में निविदाकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित अवधि में खोली जायेगी। शासकीय अवकाश की स्थिति में दूसरे कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
43. स्वीकार निविदा को रूपये 50/- के न्यायायिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा कि...
- मैं निविदा शर्त में निहित कंडिका क्रमांक 01 से 45 तक के सभी शर्तों का अक्षरसः पालन करूंगा।
 - मेरे द्वारा प्रदाय की जाने वाली इवाइयों का मूल्य खूदरा बाजार भाव से तथा किसी भी शासकीय संस्थान को प्रदाय किये गए दर से /शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है एवं इसकी गुणवत्ता उत्तम है एवं पुनः परीक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा तथा निम्न स्तर की पायी गई तो अमानत राशि राजसात कर एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
 - मेरे द्वारा निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा मेरे ऊपर नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जाती है उसके लिए मैं सहमत रहूँगा /सहयोग करूँगा और कोई भी आपत्ति नहीं करूँगा निविदा शर्तों को पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
 - निविदा में दरें स्वीकृत होने पर निविदा की सम्पूर्ण अवधि तक मैं उन्हीं दरों पर सामग्री प्रदाय करूँगा।
44. GeM Government E Market में दवाई, उपकरण एवं अन्य सामग्री उपलब्ध होने पर शासन के निर्देशानुसार क्रय किया जावेगा।
45. क्रय समिति निविदा शर्तों में आवश्यकतानुसार एवं संस्थान हित में संशोधन/ शिथिलिकरण कर सकेगी।


 अधीक्षक सह संयुक्त संचालक
 स्व.श्री लखीसिंह अग्रवाल स्मृ०शा.चिकि.०महा०
 संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़ (छ.ग.)



LIST OF DOCUMENTS

S.NO.	DOCUMENT	Page No
1.	Firm Detail	
2.	Gumasta Certificate	
3.	DD/Bankers Cheque (Three Lakh)	
4.	Drug License	
5.	GSTIN Number Certificate	
6.	Pan Card	
7.	Income Tax Clearance Certificate	
8.	Turn Over Certificate verified by CA	
9.	Experince Certificate	
10.	Affidavit	
11.	Authorization Letters of Companies to Firm For Tender	
12.	ISO/WHO/GMP/ISI/CE/FDA Certificate	



घोषणा – पत्र

प्रारूप संलग्न

(निम्न घोषणा पत्र रूपये 50 के स्टॉप पेपर पर होना अनिवार्य है।)

शपथ पत्र LETTER OF ACCEPTANCE

मैं / हम जिनकी संस्था / दुकान
पता जो कि निविदाकार है, हम यह घोषणा करते हैं कि सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियाँ, केमिकल्स, रियेजेंट, डायग्नोस्टिक किट, कन्ज्यूमेबल एवं अन्य मेडिकल सामग्री इत्यादि प्रदाय करने हेतु निविदा के संदर्भ में कर रहे हैं, तथा यह घोषित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य व सही है। इस संदर्भ में अस्पताल प्रशासन/निविदाकर्ता, को जब इस निविदा के संदर्भ में किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। हम निविदाकर्ता के बिना कारण बताये निविदा के स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं तथा हम उनके उक्त निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते हैं एवं निविदा में दी गई सभी सूचना एवं शर्तें मान्य हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि जो हमारे द्वारा जो दरें दी जायेगी, बाजार भाव से तथा किसी भी शासकीय संस्था को प्रदाय किये गए दर से / शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है। उससे कम दर पर हम निविदा अवधि तक किसी भी राज्य शासन / केन्द्र शासन के किसी भी उपक्रम को प्रदाय नहीं करेंगे हमारे द्वारा उससे कम दर पर सामग्रियों प्रदाय की जा रही होगी, तो चिकित्सा अधीक्षक को यह अधिकार रहेगा कि उन कम दरों पर ही सामग्रियों का भुगतान करें तथा यह हमें स्वीकार होगा। हमारे द्वारा प्रदाय की जाने वाली सर्जिकल एवं अन्य सामग्रियाँ, केमिकल्स, रियेजेंट, डायग्नोस्टिक किट, कन्ज्यूमेबल एवं अन्य मेडिकल सामग्री की गुणवत्ता उत्तम है एवं पुनः परिक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान संबंधित फर्म के द्वारा किया जायेगा तथा निम्न स्तर की पायी गई को अमानत राशि राजसात कर एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ। हमारे संस्था/कंपनी को काली सूची में किसी भी संस्थान द्वारा सामिल नही किया गया है। हमें स्वीकार होगा की हम स्वीकृत दरों पर एक वर्ष की अवधि तक औषधी एवं चिकित्सा सामग्री इत्यादि प्रदाय करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज असत्य एवं त्रुटि पूर्ण पाये गये तो हमारी निविदा समाप्त करने का अधिकार चिकित्सा अधीक्षक को होगा।

मेरे द्वारा निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा मेरे ऊपर नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जाती है उसके लिए मैं सहमत रहूँगा /सहयोग करूँगा और कोई भी आपत्ति नहीं करूँगा।

धन्यवाद !

निविदाकार / फर्म का नाम

पूर्ण स्थाई पता

.....
टेलीफोन नंबर

फेक्स नंबर

मोबाईल नंबर

हस्ताक्षर एवं सील निविदाकार

दिनांक

समय

निविदा का नाम – सर्जिकल एवं अन्य सामग्री (E.D.L)

S.N.	Code	Name Of Items	Technical Specification	Unit
		EDL SURGICAL ITEMS		
1	C1	Absorbable gelantine Sponge IP	80mmX50mmX10mm	
2	AWC12	Absorbent 400 gms cotton roll	400gm x 1 rolls	1 rolls
3	C2	Absorbent Cotton Wool IP	500 Gms Roll	each
4	C4	Adhesive Plasters USP/Spool Zinc Oxide Self Adesive Plaster USP 7.5cm X 10mts	7.5cmX10mts	each
5	C3	Adhesive Plasters USP/Spool Zinc Oxide Self Adhesive Plaster USP	7.5cm X 10mts Spool	each
6	C7	Airways Guedl 0	0	each
7	C6	Airways Guedl 0.0	0,0	each
8	C5	Airways Guedl 000	0,00	each
9	C8	Airways Guedl 1	1	each
10	C9	Airways Guedl 2	2	each
11	C10	Airways Guedl 3	3	each
12	C11	Airways Guedl 4	4	each
13	C12	AMBU Bag (Long lasting)	Adult	each
14	C13	AMBU Bag (Long lasting) Pediatrics	Pediatrics	each
15	C	B.P. Blade 11 (Surgical Blade)	100 Blades Packet	100pcs./pkt
16	HBNC04	Baby blankets	Detail as per Annexure-I	
17	BD1	Bandage 1 inch (Finger)	Length size 3 meter	Each Roll
18	BD2	Bandage 2inch	Length size 3 meter	Each Roll
19	MN15	Bandage 3 inch	Length size 3 meter 1 Pices of 3X3 meter	Each
20	BD4	Bandage 4 inch	Length size 3 meter	Each Roll
21	BD6	Bandage 6inch (starch bun)	Length size 3 meter	Each Roll
22	C15	Bleached Bandage Colth With: Counts Other Specifications As Per Schedule F(II) of Drugs and Cosmetics Act 1940	90cm Lenght 20mtrs 40X40 Meters	each
23	C16	Bleached Gauze Cloth Width: Counts Other Specifications As per Schedule F(II) of Drugs and Cosmetics Act 1940	90cm Length 20mtrs 40X40 Meters	each
24	C17	Bone Biopsy Needle		each
25	C18	Bone Cement		each
26	C19	Bone Marrow Aspiration Needle		each
27	C20	Bone Marrow Biopsy Needle		each
28	C21	Bone Wax		each
29	C22	Catheters malecots Rubber and Latex		each
30	C23	Central Vein Catheters		each
31	C24	Corrugated rubber/latex		each
32	AWC13	Cotton Bandage 5cm x 5 mtrs. X 6 Rolls	6 Bandage Roll	6 Bandage Roll
33	MN16	Cotton IP	25 gm of Surgical Cotton NET	Each
34	C25	Crape Bandage 10cm	10cm	each
35	C26	Crape Bandage 15cm	15cm	each
36	C27	Disposable Needles 16G	16G	each
37	C28	Disposable Needles 18G	18G	each
38	C29	Disposable Needles 20G	20G	each
39	C30	Disposable Needles 22G	22G	each
40	C31	Disposable Needles 23G	23G	each
41	C32	Disposable Needles 24G	24G	each

①

310	CN27	Heamo Cytometer	Single set	Single set
311	HIVKIT01	HIV Rapid whole Blood Finger Prick Test Kits	Pack of 10 Test Kit	Pack of 10 Test Kit
312	HIV02	HIV Test kit Rapid (3rd Generation Diagnostic)	Pack of 10 kits	Pack of 10 kits
313	MN18	Lancet	20 lancet in pouch	Each
314	CN28	Leisman Stain Powder/Bottle	500 ml	Each
315	CN29	Liquid Ammonia Sodium	500 ml	Each
316	CN30	Litmus Paper - Pack of 100	Pack of 100	10
317	CN31	Measuring Cylinder Plastic	100 ml Single unit	
318	CN33	Micro Glass Slide Size- 76 mm x 26 mm (-1.00 mm) Thickness 1.35 mm	One Packet of 50 Nos	
319	CN35	Multistix 10 Sg For Urine	pack of 100 strips	100 strip
320	CN36	N/10 HCL	500 ml Pack	Each
321	C159	NS1 Antigen		each
322	C160	Pregnancy Diagnostic Kit RCH Supply	RCH Supply	each
323	D454	Rapid Diagnostic Kit for malaria	25 Test for Malaria	25 Test for Malaria
324	C161	Rapid Diagnostic Kit for malaria(bivalent)	NVBDCP Supply	each
325	NIDDCP01	Salt Testing Kit	As per Annexure I 1 kit	Each
326	CN41	Sample Collection Vial (Plastic)5ml Pack of 100	Pack of 100	100pcs./pkt
327	CN42	Saponin Powder	500 gm	Each
328	CN48	Sodium Nitro Pruside	500gm	Each
329	SCTK01	SOLUBILITY TEST KIT		50 test per Kit
330	CN50	Sulpher Powder	500 gm	Each
331	ND35	TEMEPHOS	1 Litte r	Each
332	ANC03	Test strips, urine, glue/prot/PAC-100	1 (100 Test)	(100 Test)
333	CN51	Test Tube Holder	Single unit	Each
334	CN52	Thermal Paper 56 mm for RA - 56 Pack of 100	Pack of 100	100pcs./pkt
335	CN54	Tri Sodium Citrate	500 gm	Each
336	C162	Uristix for albumine and sugar		each
337	C163	Viral transport Media		each
338	C164	Whole blood finger prick test for HIV screening in emergency	Pack of 10 kits/pkt	each